न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 133 / 2023	2023 / 513	09.11.2023	30.10.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. अंकित पुत्र श्री सुरेन्द्र चौधरी, आर्य भवन, मेहंदी बाग, अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 17 अप्रमाणित खाली सिलेण्डर मय बांसूरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री विनोद जुनेजा (प्रवर्तन अधिकारी,अलवर) —विभागीय प्रतिनिधि

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 17 अप्रमाणित खाली सिलेण्डर मय बांसूरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6—ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 10.11.2023 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार में विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह प्रवर्तन अधिकारी, श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की जांच हेतु फर्म मै० अंकित पुत्र सुरेन्द्र चौधरी, आर्य भवन, मेहंदी बाग, अलवर पर पहुंचे। मौके पर श्री अंकित पुत्र श्री सुरेन्द्र चौधरी, आर्य भवन, मेहंदी बाग, अलवर उपस्थित मिले। फर्म मै० अंकित पुत्र सुरेन्द्र चौधरी, आर्य भवन, मेहंदी बाग, अलवर की दुकान पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 17 अप्रमाणित खाली सिलेण्डर मय बांसूरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र मिला। श्री अंकित पुत्र श्री सुरेन्द्र चौधरी, आर्य भवन, मेहंदी बाग, अलवर द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री अंकित पुत्र श्री सुरेन्द्र चौधरी, आर्य भवन, मेहंदी बाग, अलवर के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 17 अप्रमाणित खाली सिलेण्डर मय बांसूरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 17 अप्रमाणित खाली सिलेण्डर मय बांसूरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र को मै० मॉडर्न गैस एजेंसी, मालवीय नगर, अलवर के प्रतिनिधि श्री प्रेमप्रकाश पुत्र श्री हरिकिशन मीना को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 17 अप्रमाणित खाली सिलेण्डर मय बांसूरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र को राजसात करने की कृपा करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद रजि0 तलबी/तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी की एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार मौके पर फर्म मै० अंकित पुत्र सुरेन्द्र चौधरी, आर्य भवन, मेहंदी बाग, अलवर की दुकान पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 17 अप्रमाणित खाली सिलेण्डर मय बांसूरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र मिला। श्री अंकित पुत्र श्री सुरेन्द्र चौधरी, आर्य भवन, मेहंदी बाग, अलवर द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री अंकित पुत्र श्री सुरेन्द्र चौधरी, आर्य भवन, मेहंदी बाग, अलवर के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है. जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 17 अप्रमाणित खाली सिलेण्डर मय बांसूरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 17 अप्रमाणित खाली सिलेण्डर मय बांसूरीनुमा गैस रिफलिंग यंत्र सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)